**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3967**

**बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**<u>पीएम-कुसुम के माध्यम से राज्य को प्राप्त लाभ</u>**

**3967. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:**

**श्री राहुल सिंह लोधी:** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के माध्यम से विभिन्न राज्यों को क्या-क्या विशिष्ट लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन से कृषक समुदाय की वार्षिक आय और सामाजिक-आर्थिक आजीविका में काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में विद्युत राजसहायता के राजकोषीय भार को कम करने के लिए राज्य सरकारों के लिए क्या रूपरेखा है; और

(घ) ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए इन हरित ऊर्जा परिवर्तनों की अनुमानित दीर्घकालिक स्थिरता का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री**

**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) पीएम-कुसुम के मांग संचालित योजना है तथा राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों तथा उनकी कार्यान्वयन प्रगति के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।

फीडर स्तरीय सौरीकरण के कार्यान्वयन के कारण, राज्यों ने किसानों को रात के समय बिजली की आपूर्ति को 7 से 8 घंटे तक दिन के समय बिजली आपूर्ति में स्थानांतरित करने की भी सूचना दी है।

(ख) जी, हां। पीएम-कुसुम किसानों को अन्नदाता सहित ऊर्जा दाता बनने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने हेतु तथा अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। योजना के प्रमुख लाभ तथा सकारात्मक प्रभाग इस प्रकार हैं:

- किसान अपनी भूमि पर 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं तथा डिस्कॉमों को अतिरिक्त विद्युत बेच अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना को स्वीकृति देकर कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने में तथा मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड पंपों को सौरीकृत करने में सहायता करती है।
- फीडर स्तरीय सौरीकरण की सहायता से, योजना किसानों को दिन के समय सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने की अनुमति देती है और कृषि के लिए मुफ्त/रियायती बिजली प्रदान करने के लिए राज्य को वित्तीय बोझ से राहत देती है।

(ग) राज्यों ने फीडर स्तरीय सौरीकरण के कार्यान्वयन के माध्यम से विद्युत खरीद की लागत में कमी, ऊर्जा की प्रति यूनिट आपूर्ती लागत में कमी, ऊर्जा हानि में कमी तथा डिस्कॉमों की बेहतर प्रचालन दक्षता सूचित की है।

राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में विद्युत सब्सिडी के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पीएम कुसुम योजना के साथ राज्य योजनाओं को मिलाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है।

(घ) योजना के घटक ए तथा सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अंतर्गत सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए, 25 वर्षों की अवधि के लिए आवश्यक सौर विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे किसानों को दिन के समय सुनिश्चित तथा हरित विद्युत की दीर्घ-कालिक उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

*****